N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0170 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 03/07/2025 16:20 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिनं Date From (दिनांक से): 02/04/2025 Date To (दिनांक तक): 03/04/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 10:45 बजे Time To (समय तक): 15:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 03/07/2025 Time (समय): 10:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 03/07/2025 16:20:15 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 60 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): UP PANJEEYAK KARYALYA BEAWAR, TEHASIL BEAWAR,JILA BEAWAR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): BHAGCHAND KUMHAR

(b) Father's Name (पिता का नाम): GOVIND PRASAD

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1992 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SHYAM SUNDAR GALI, TEJA CHOWK BEAWAR, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SHYAM SUNDAR GALI, TEJA CHOWK BEAWAR, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ADITYA		पिता:KHOOBCHAND	1. 460,GAUTAM NAGAR,NEENDAD MOAD,HARMADA,JAIPUR,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	1,25,000रूपये रिश्वत की मांग करना	1,25,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,25,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 02.04.2025 को परिवादी श्री भागचंद कुम्हार पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद जाति कुम्हार उम्र 33 साल निवासी श्याम सुन्दर गली, तेजा चौक ब्यावर ने कार्यालय मे उपस्थित होकर एक रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अजमेर श्री भागचन्द्र को इस आशय की प्रस्तुत की कि मै तहसील ब्यावर मे डीड राइटर का काम करता हूं। मैने ब्यावर मे ही स्थित आदिनाथ कोलोनी, सेदरिया मे खसरा नम्बर 15 में दो भूखण्ड प्लाट न. 21 व क्षेत्रफल 233.33 वर्गगज व प्लाट न. 22 क्षेत्रफल 233.33 वर्गगज के श्रीमती मैना देवी व श्रीमती मीना से जरिये बेचान, वसीयत मुख्तयार आम के द्वारा ता. 24/2/25 को खरीदे तथा ब्यावर में ही उक्त सबंध मे नोटेरी पब्लिक करवाई। मेरे उक्त क्रय शुदा भूखण्डों का पंजीयन करवाये जाने हेतु दस्तावेज तैयार कर मै ता. 26/3/2025 को उप पंजीयक कार्यालय ब्यावर गया तथा उप पंजीयक श्रीमति अदित्या से मिला। फिर मैने कागजात उप पंजीयक कार्यालय मे दिखाये तो इन भूखण्डो पर आपत्ति दर्ज होना जानकारी मे आया। मै उप पंजीयक अदित्या से वापस मिला तो उसने कहा कि ये रजिस्ट्री तो मै धारा 39 का नोट लगाके कर दूंगी परन्तु इसके बदले में 1.5 लाख रूपये लूंगी। उन्होने अभी तक मेरे द्वारा तैयार किये गये दस्तावेज नही लिये है तथा मै उन्हे जब रिश्वत देने की हां भरूंगा तभी वो दस्तावेजो की रजिस्ट्री की कार्यवाही आरम्भ करेगी। मै श्रीमती अदित्या उप पंजीयक ब्यावर को रिश्वत नही देना चाहता हूं मै उसे रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हूं। इत्यादि पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने मन् निरीक्षक पुलिस को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी से उपरोक्तानुसार परिचय करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये। मन् निरीक्षक पुलिस उक्त प्रार्थना पत्र व परिवादी सहित अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवादी को पढकर सुनाया गया तो स्वंय का हस्त लिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो बताया कि " मै तहसील ब्यावर मे डीड राईटर का काम करता हूं एंव रजिस्ट्री लेखन का कार्य भी करता हूं। मैने राजस्व ग्राम सेदरिया तहसील ब्यावर में खसरा नम्बर 15 मे पट्टा शुदा दो भूखण्ड क्रमशः 21 व 22 खरीदे जाकर उनकी नोटरी करवाई। मेरे इन दोनो भूखण्डो की रजिस्ट्री मै अब मेरे स्वंय के नाम पर करवाकर इनका पंजीयन करवाना चाहता हूं। मै डीड राईटर का काम करता हूं इसलिये मेरा उप पंजीयक कार्यालय ब्यावर मे आना जाना रहता है एंव वंहा का स्टॉफ एंव उप पंजीयक श्रीमती अदित्या मुझे जानती भी है। मै भूखण्डो की रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार कर दिनांक 26.03.2025 को उप पंजीयक कार्यालय ब्यावर गया तथा उप पंजीयक श्रीमती अदित्या से मिला व कागज उप पंजीयक कार्यालय मे दिखाये तो भूखण्ड पर आपत्ति होना जानकारी में आया। मै वापस उप पंजीयक से मिला तो पहले उसने रजिस्ट्री करने से मना किया फिर मैने कहा कि मेरे दोनो भूखण्ड पट्टे शुदा है तथा जो आपत्ति है वो गलत है तो उसने कहा कि रजिस्ट्री तो धारा 39 का नोट लगाके कर दूंगी परन्तु इसके बदले में 1.5 लाख रूपये लूंगी। मैने उससे कहा कि इससे तो हमारी रजिस्ट्री की कोई वैल्यू नही रहेगी तो उसने कहा कि जब भी आपत्ति हटेगी नोट भी हट जायेगा। मै दिनांक 28.03.2025 व 01.04.2025 को भी उप पंजीयक कार्यालय गया व उप पंजीयक अदित्या से मिला तो उसने कहा कि मै आपके कागज मार्गदर्शन में भेज देती हूं वंहा से जब भी आयेगा तब रजिस्ट्री करवा लेना। उन्होने अभी तक मेरे द्वारा तैयार किये गये दस्तावेज नही लिये है तथा मै उन्हे जब रिश्वत देने की हां भरूंगा तभी वो दस्तावेजो की रजिस्ट्री की कार्यवाही आरम्भ करेगी। मेरे भूखण्डो की रजिस्ट्री का मेरा बिलकुल सही व वाजिब काम है मै श्रीमती अदित्या को रिश्वत नही देना चाहता हूं। ये जो 1.5 लाख रूपये उसके द्वारा मांगे जा रहे है वह पंजीयन शुल्क के अतिरिक्त ही है जो उसकी स्वंय की रिश्वत राशि है। मै उसे रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूं। मेरी श्रीमती अदित्या उप पंजीयक ब्यावर से किसी प्रकार की कोई रंजिश नही है व उधार का लेनदेन या अन्य किसी भी प्रकार का लेनदेन नही है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दरियाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध मे अवगत करवाया जिस पर परिवादी ने बताया कि अदित्या रिश्वत राशि की बात बहुत ही धीरे से ही करती है क्योंकि उसके कक्ष में रजिस्ट्री करवाने के लिये लोग आते ही रहते है। उप पंजीयक अदित्या रोज अजमेर से अप डाउन करती है इसलिये वो ज्यादातर 12 बजे के बाद ही ब्यावर आती है और कभी कभी ब्यावर आती भी नही है। आज भी उसके ब्यावर आने की सम्भावना कम ही है। जैसे ही वो ब्यावर आयेगी तो मै अपने स्तर से मालूम कर लूंगा तब ब्यावर जाकर रिश्वत के सत्यापन की कार्यवाही की जा सकती है। कार्यालय की अलमारी मे से वायॅस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर परिवादी श्री भागचन्द कुम्हार को वायॅस रिकॉर्डर के संचालन के सम्बन्ध में समझाया गया। परिवादी को कार्यालय कक्ष में ही अलग कक्ष में बैठाया गया।

दिनांक 02.04.2025 समय 02.10 पीएम पर परिवादी ने मन् निरीक्षक के पास आकर अवगत करवाया कि अभी-अभी अदित्या ने मुझे मोबाईल पर वाट्स-एप कॉल कर कहा कि मै आज बच्चे का एडमिशन करवाने के लिये अजमेर ही रूक गई उसने मुझे कल रजिस्ट्रार आफिस बुलाया है। श्री कैलाश चारण हैड कानिस्टेबल नम्बर 62 को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी से आपस में परिचय करवाया जाकर मोबाईल नम्बरो का आदान प्रदान करवाया गया व दिनांक 03.04.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु ब्यावर जाने के निर्देष प्रदान किये गये। परिवादी ने बताया कि अदित्या ऑफिस लेट ही आती है इसलिये दोपहर के समय ही उसके ऑफिस मे जाकर सत्यापन की कार्यवाही की जा सकती है। परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर रूख्सत किया गया। वार्यस रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय मे रखा गया। दिनांक 03.04.2025 को श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62 को वार्यस रिकॉर्डर में नया/खाली मैमोरी कार्ड डाला जाकर सुपुर्द किया व परिवादी से सम्पर्क कर ब्यावर जाने की हिदायत दी गई। दिनांक 04.04.2025 समय 10.05 ए.एम. पर श्री कैलाश चारण हैड कानि0 ने मन् निरीक्षक पुलिस के कार्यालय मे उपस्थित आने पर अवगत करवाया कि कल दोपहर में 12 बजे ब्यावर के लिये रवाना होकर परिवादी से सम्पर्क कर गोपनीय स्थान पर मुकीम रहा। परिवादी द्वारा उप पंजीयक अदित्या के कार्यालय में उपस्थित आने के सम्बन्ध में मालूम किया। उप पंजीयक अदित्या के कार्यालय में उपस्थित आने पर हम दोनो उप पंजीयक कार्यालय ब्यावर के बाहर की तरफ करीब 02.45 पीएम पर पहुंचे। परिवादी को वार्यस रिकॉर्ड चालू कर सुपुर्द किया परिवादी उप पंजीयक कार्यालय के अन्दर गया मै बाहर की तरफ ही अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकीम रहा। 15 मिनट बाद परिवादी वापस मेरे पास आया मैने रिकॉर्डर परिवादी से प्राप्त कर बन्द कर रिकॉर्डर को सुरक्षित अपनी पास रखा। परिवादी ने बताया कि मै उप पंजीयक से मिला तो उसने मेरे भूखण्ड के खसरो की बात की तथा भूखण्ड के विवाद के सम्बन्ध में बात की तथा बातचीत मे रूपयो की बात हुई मैडम को सवा लाख रूपये देने है। परिवादी ने आगे बताया कि मुझे रजिस्ट्री के दस्तावेज के पंजीयन की कार्यवाही करवानी है स्टाम्प व अन्य शुल्क जमा करवाकर अगूंठा निशानी व फोटो खिंचवाने है इसमें समय लगेगा इसलिये जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी मै आपके पास आ जाउंगा। गोपनीयता की दृष्टि से परिवादी को अविलम्ब रजिस्ट्रार कार्यालय में रवाना कर मै वंहा से रवाना होकर ब्यावर-अजमेर सिक्स लेन हाईवे पर मुकीम रहा। इस दौरान वार्यस रिकॉर्डर को चालू करके सुना तो उसमें वार्तालाप दर्ज होना पाया गया। समय करीब पौने 6 बजे परिवादी मेरे पास आया तथा कहा कि रजिस्ट्री के दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय मे जमा हो गये है मेरी फोटो,अगूंठा निशानी व स्टाम्प आदि की सारी प्रक्रिया हो चुकी है। अब रजिस्ट्री पर उप पंजीयक अदित्या के हस्ताक्षर होने है। रजिस्ट्री लेते हुये उप पंजीयक को सवा लाख रूपये देने है। परिवादी ने कहा कि मुझे अभी रूपयो की व्यवस्था करने में दो तीन लगेगें जैसे ही मेरे पास रूपयो की व्यवस्था हो जायेगी व उप पंजीयक ब्यावर मे मौजूद रहेगी मै आपसे सम्पर्क कर लूंगा या आपके ऑफिस आ जाउंगा। तत्पश्चात ब्यावर से रवाना होकर समय 07.30 पर अजमेर पहुंचा। श्री कैलाश चारण ने वार्यस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के मन् निरीक्षक पुलिस को बन्द अवस्था मे सुपुर्द किया। वार्यस रिकॉर्डर को चालू करके सुना गया तो वार्तालाप दर्ज होना पाया गया आईन्दा परिवादी के उपस्थित आने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी। वॉयस रिकॉर्डर को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपनी अलमारी मे सुरक्षित रखा। दिनांक 07.04.2025 समय 12.15 पीएम पर परिवादी श्री भागचन्द कार्यालय मे उपस्थित आया व अवगत करवाया कि दिनांक 03.04.2025 को आपके ऑफिस के श्री कैलाश जी ब्यावर आये थे। उप पंजीयक अदित्या के ऑफिस मे आने की जानकारी प्राप्त होने पर हम दोनो करीब पौने तीन बजे उप पंजीयक कार्यालय के बाहर की तरफ पहुंचे। कैलाश जी ने मुझे वार्यस रिकॉर्ड चालू कर दिया। मै उप पंजीयक कार्यालय के अन्दर गया तथा उप पंजीयक के चैम्बर में गया वंहा पर मैने उप पंजीयक अदित्या से बातचीत की तो उसने बातचीत में मेरे भूखण्डो के विवाद के सम्बन्ध में बात की तथा बातचीत मे रूपयो की भी बात हुई मैडम हुई मैडम ने एक भूखण्ड के 75 हजार रूपये मांगे मैने रिक्वेस्ट की व एक लाख रूपये का कहा तो मैडम ने सवा लाख रूपये की कहा। मैडम ने दस्तावेज तैयार करवाने व स्टाम्प आदि कटवाने के लिये कहा। फिर मैडम से बात कर मै कैलाश जी के पास करीब 15 मिनट बाद वापस आ गय। रिकॉर्डर मैने कैलाश जी को वापस दे दिया जो रिकॉर्डर कैलाश जी ने बन्द कर अपने पास रख लिया। मैने उन्हे घटनाक्रम बताया। फिर मै मेरे दस्तावेज तैयार करवाने के लिये वापस उप पंजीयक कार्यालय चला गया। मै उप पंजीयक कार्यालय गया तथा मैरे रजिस्ट्री की औपचारिकता जैसे पंजीयन शुल्क आदि जमा करवाया एंव सर्वर/कम्प्यूटर पर अगूंठा निशानी फोटो आदि पूरी की। मैने पंजीयन व मुद्रांक शुल्क के दोनो भूखण्डो के 94800 रूपये पंजीयक कार्यालय मे जमा करवा दिये है दोनो भूखण्डो की राशि अलग अलग जमा करवाई है। जिनकी रसीदे पंजीयन के दस्तावेजो के साथ ही संलग्र की गई है। समस्त औपचारिकता पूर्ण कर करीब पौन 6 बजे अजमेर ब्यावर हाईवे पर कैलाश जी से मिला। मैने इन्हे पूरी बात बताई मैने कैलाश जी को कहा कि उप पंजीयक को सवा लाख रूपये देने है रूपयो की व्यवस्था कर मै आपके कार्यालय मे आ जाउंगा। मेरे पास रूपयो की व्यवस्था नही होने एंव मेरी रजिस्ट्री के दस्तावेज पर अभी आगे कोई कार्यवाही नही होने के कारण मै आपके पास नही आ सका था। मेरे पास अभी पूरे रूपयो की व्यवस्था नही हुई है एक दो दिन में रूपयो की व्यवस्था हो जायेगी। कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखे वार्यस रिकॉर्डर को मय मैमोरी कार्ड के निकाला जाकर परिवादी की उपस्थिति में चालू करके सुना गया जिसमें परिवादी ने बताया कि मैडम बाकी सारी बाते तो तेज आवाज में कर रही है परन्तु जैसे ही रूपयो की बात होती है तो बहुत ही धीरे से बोलती है। परिवादी को वार्ता की ट्रासंक्रिप्ट के लिये कहा गया तो परिवादी ने

सहमति प्रदान की। समय 12.50 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहो की तलबी हेतु अधीक्षण अभियन्ता, पीडब्ल्यूडी अजमेर के नाम तहरीर जारी की जाकर श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308 को भेजा गया। समय 01.10 पीएम पर श्री रविन्द्र सिंह कानि कार्यालय मे उपस्थित आया व पीडब्ल्यूडी कार्यालय अजमेर से दो कर्मचारियों को लेकर उपस्थित आया मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आमदा को अपना परिचय दिया जाकर परिचय पूछा तो अपना परिचय श्री कैलाश चन्द मधुकर पुत्र श्री खेमचन्द मधुकर उम्र 54 साल जाति बैरवा निवासी 18 हनुमान नगर बिहारीगंज पुलिस थाना अलवर गेट जिला अजमेर हाल कनिष्ठ प्रारूपकार सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत अजमेर व श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री बिरमाराम उम्र 34 साल जाति जाट निवासी ग्राम व पोस्ट दाबडिया वाया बोरावड पुलिस थाना गच्छीपुरा जिला डीडवाना-कुचामन हाल वरिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत अजमेर के रूप में दिया। मन् निरीक्षक के पास मौजूद परिवादी श्री भागचन्द का आपस मे गवाहो से परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.04.2025 पढकर गवाहो को सुनाया व दिखाया गया। ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाहे जाने पर दोनो गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गई। गवाहान द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत शुदा प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा मन् निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो वायॅस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड है को चालू करके गवाहान को सुनाया गया। मैमोरी कार्ड को कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। गवाहो को कार्यालय कक्ष में पृथक से बैठाया गया। दिनांक 07.04.2025 समय 02.15 पीएम पर परिवादी ने अवगत करवाया कि मैने अपने स्तर से मालूमात की तो मैडम ने अभी तक मेरे भूखण्डो की रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर नही किये है मेरे पास रूपयो की व्यवस्था भी नही है मैने अभी तक उन्हे रूपये नही दिये इसलिये हो सकता है वो कोई छोटा-मोटा ऑब्जेक्शन कर दे व रजिस्ट्री पर साईन नही करे इसलिये एक बार उप पंजीयक अदित्या से मिलकर बातचीत कर लूं ताकि वो कोई ऑब्जेक्शन नही करें व मै उससे एक दो दिन का टाईम भी ले लेता हूं। परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की ट्रासंक्रिप्ट हेतु कहा गया जिस पर परिवादी ने कहा कि अदित्या यदि आज ब्यावर नही आती है तो ट्रासंकिप्ट की कार्यवाही कर लेते है नही तो मै एक बार जाकर उससे मिल लेता हूं। मैडम चार-पांच बजे वापस ऑफिस से निकल जाती है। परिवादी द्वारा अपने स्तर से मालूमात की तो उप पंजीयक का कार्यालय मे मौजूद होना जानकारी में आया। श्री सुरेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 20 को कार्यालय मे बुलाकर परिवादी से आपस में परिचय करवाया तथा परिवादी के साथ ब्यावर जाने की हिदायत दी गई। दोनो गवाहो का रूख्सत किया जाकर दिनांक 08.04.2025 को समय 09.30 ए.एम. पर कार्यालय मे आने की हिदायत दी गई। समय 02.40 पीएम पर श्री सुरेन्द्र कुमार कानि0 को वायॅस रिकॉर्डर में नया/खाली मैमोरी कार्ड डालकर सुपुर्द कर परिवादी व सुरेन्द्र कुमार को ब्यावर के लिये रवाना किया गया। समय 07.30 पीएम पर श्री सुरेन्द्र कुमार कानि0 कार्यालय में उपस्थित आया तथा अवगत करवाया कि कार्यालय से रवाना होकर हम ब्यावर पहुंचें उप पंजीयक कार्यालय के बाहर की तरफ पहुंच कर समय 04.40 पीएम पर परिवादी भागचन्द को वायॅस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द किया एंव उप पंजीयक कार्यालय ब्यावर के अन्दर की तरफ रवाना किया। करीब 8 मिनट बाद परिवादी वापस मेरे पास आया तथा अवगत करवाया कि मैडम के चैम्बर में कोई बैठा था इसलिये उसने पैसो की बात तो नही की, परन्तु उसने मेरे दस्तावेज मे कमी होने का कहा व कागज को सही करने के लिये कहा। फिर गोपनीयता की दृष्टि से हम वंहा से रवाना होकर हाईवे पर आ गये। थोडी देर बाद परिवादी ने कहा कि मै एक बार देखकर आ जाता हूं यदि उप पंजीयक अकेली होगी तो मै रिकॉर्डर लेकर उसके पास चला जाउंगा। परिवादी को रवाना कर मै गोपनीय स्थान पर ही रहा। थोडी देर बाद परिवादी वापस आया तथा बताया कि मै जब गया तब मैडम चैम्बर के बाहर ही आ गई थी तथा कागजात सही करने का कहा उसने सम्बन्धित बाबू को भी मेरे कागज तैयार करने के लिये कहा। फिर वह अपनी गाडी मे बैठकर रवाना हो गई। परिवादी ने कहा कि मै रूपयो की व्यवस्था कर कल सुबह आपके ऑफिस आ जाउंगा। फिर वंहा से रवाना होकर मै कार्यालय मे उपस्थित आया। श्री सुरेन्द्र कुमार ने वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के बन्द अवस्था मे प्रस्तुत किया जिसे चालू करके सुना तो उसमें वार्तालाप दर्ज होना पाया गया। वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। दिनांक 08.04.2025 समय 10.00 ए.एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाह उपस्थित आये। जिन्हे कार्यालय मे बैठाया गया। परिवादी से मोबाईल फोन पर सम्पर्क करने का प्रयास किया तो परिवादी ने कॉल रिसीव नही किया। दिनांक 08.04.2025 समय 11.42 ए.एम. पर परिवादी से श्री कैलाश चारण से जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि आज मुझे मेरे डीड राईटर से सम्बन्धित काम होने के कारण मै अजमेर आने में असमर्थ हूं मै कल सुबह जल्दी आपके ऑफिस मे रूपयो की व्यवस्था कर आ जाउंगा। दोनो गवाहो को सुबह 08 बजे कार्यालय मे उपस्थित आने की हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 09.04.2025 को परिवादी व गवाहो के उपस्थित आने के पश्चात परिवादी श्री भागचन्द को दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 250 नोट कुल 125,000 रूपये एक पीले लिफाफे में पेश किये एंव अवगत करवाया कि उप पंजीयक अदित्या रिश्वत की राशि लिफाफे में ही लेगी व खुली अवस्था में रूपये नही लेगी हो सकता है रूपये गिनने के लिये वह लिफाफे से नोट निकले। नोटो के नम्बर फर्द में अंकित करवाये गये। श्री प्रदीप सिंह शीघ्र लिपिक से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफथलीन पाउडर मंगवाकर नोटो व लिफाफे पर श्री प्रदीप सिंह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री भागचन्द की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुए पाउडर युक्त नोट

लिफाफा सहित रखवाये गये। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यो के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा सभी का आपस मे परिचय करवाया गया एवं की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाया गया। समय 11.00 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी भागचन्द, श्री राजूराम कानि नम्ब्र 04, श्री चतर सिंह कानि नम्बर 17, श्री सुरेन्द्र कानि नम्बर 20, श्रीमती रूचि महिला कानि नम्बर 321 मय वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड, लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स आदि के प्राईवेट वाहन से, श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62, श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308, स्वतन्त्र गवाहान श्री कैलाश चन्द मधुकर, श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री मनोज कुमार कानि नम्बर 01, विडियोग्राफर देवेन्द्र फतनानी मय प्राईवेट वाहन से ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यावर के लिये रवाना हुये। समय 12.10 पीएम पर उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा ब्यावर से कुछ पहले गोपनीय स्थान पर पहुंच वाहनो को साईड मे खडा किया गया। परिवादी ने अपने स्तर से मालूम करने पर आरोपिता अधिकारी का कार्यालय मे नही आना जानकारी में आया जिस पर गोपनीय स्थान पर ही मुकीम रहे। समय 01.10 पीएम पर श्री भागचन्द ने बताया कि मैने अभी अभी मेरे मिलने वाले से जरिये मोबाईल फोन सूचना प्राप्त हुई कि उप पंजीयक अदित्या ऑफिस मे आ चुकी है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहीयान के प्राईवेट वाहनो से आगामी कार्यवाही हेतु उप पंजीयक कार्यालय ब्यावर के लिये रवाना हुये। समय 01.20 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहीयान के प्राईवेट वाहनो से उप पंजीयक कार्यालय से थोडा पहले पहुंचें। परिवादी ने बताया कि मैडम कल ऑफिस नही आयी थी इसलिये हो सकता है उसके पास भीड हो पहले मै देख लेता हूं कि उसके पास कोई है या नही यदि कोई नही होगा तो मै आपसे रिकॉर्डर आकर ले जाउंगा। जिस पर परिवादी को उप पंजीयक कार्यालय के लिये रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के मुकीम रहा। समय 03.35 पीएम पर परिवादी मन् निरीक्षक के पास उपस्थित आया व बताया कि मै उप पंजीयक कार्यालय के अन्दर गया तो पहले मैडम के पास कोई बैठा था फिर वह लन्च करने लग गई इस दौरान मैने ऑफिस मे मालूम किया तो मेरे कागजात कम्प्यूटर से ऑन लाईन पंजीयन तो हो गये है लेकिन मैडम ने अभी तक साईन नही किये है मै मैडम को साईन करने के पश्चात ही रिश्वत की राशि दूंगा। आज उप पंजीयक कार्यालय मे काफी भीड भाड भी है व स्टॉफ भी कम ही है। अभी मैडम ने मुझे जमाबन्दी की कॉपी लेकर बुलाया है जमाबन्दी की कॉपी मैने ऑन लाईन निकाल ली है व मेरे मिलने वाले की मोटर साईकिल लेकर आपके पास आया हूं जिस पर श्री भागचन्द को वायॅस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर उप पंजीयक कार्यालय के लिये रवाना कर श्री कैलाश चारण व श्री रविन्द्र सिंह को भी परिवादी के पीछे-पीछे उप पंजीयक कार्यालय के लिये रवाना किया। समय 04.25 पीएम पर श्री कैलाश चारण हैड कानि, श्री रविन्द्र सिंह कानि मन् निरीक्षक के पास उपस्थित आये व श्री कैलाश चारण ने अवगत करवाया कि अभी रिश्वत राशि का लेनेदन नही हुआ है। परिवादी अभी उप पंजीयक के पास जाकर वार्ता करके आया है उप पंजीयक के चैम्बर से बाहर आकर परिवादी ने वायॅस रिकॉर्डर मुझे दिया जो मैने प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि मेरी मैडम से बातचीत हुई अभी उसने रजिस्ट्री पर साईन नही किये है हम बातचीत कर रहे थे इस दौरान किसी व्यक्ति ने गेट खोला तो मैडम ने मुझे जाने के लिये कह दिया। उप पंजीयक कार्यालय मे किसी को शंका नही हो इसलिये मै और रविन्द्र जी आपके पास आ गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि जैसे ही उप पंजीयक बुलाये तो तुरन्त ही सम्पर्क करें। श्री कैलाश चारण ने वायॅस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया जिसे चालू कर सुना गया तो वार्तालाप दर्ज होना पाया गया। समय 05.00 पीएम पर परिवादी मन् निरीक्षक के पास उपस्थित आया व अवगत करवाया कि आपके पास से रवाना होकर मै उप पंजीयक अदित्या से मिला व जमाबन्दी उन्हे दिखाई उसने भूखण्ड के खसरा नम्बर का पूछा फिर उसने कहा कि पैमेन्ट कब करोगे मैने कहा कि आज ही कर दूंगा एक लाख पच्चीस हजार रूपये ज्यादा होंगें तो मैडम थोडी नाराज हो गई व कहा कि ये पहले कहते मार्केट नही है इसांफ अपनी जबान पर काम करता है बात तय हो गई थी दुबारा का कोई औचित्य नही फिर मै उससे और बात करके रूपये देने वाला था इस दौरान किसी व्यक्ति ने गेट खोल दिया तो उसने मुझे जाने का कहा फिर मै बाहर आ गया। वायॅस रिकॉर्डर कैलाश जी को दे दिया जो बन्द कर कैलाश जी ने अपने पास रख लिया व थोडी देर बाद वंहा से रवाना हो गये। आज उप पंजीयक कार्यालय मे भीड भी काफी है क्योंकि आगे पांच दिनो की छुट्टी है। मैडम के पास भी काफी लोग आ जा रहे है और काफी लोग मिलने का इन्तजार कर रहे है। आज मैडम से वापस अकेले मिलना सम्भवन नही है। जब मैडम अकेले होगी तभी पैसे लेगी। आज मैडम के रूपये लेने की सम्भावना नही है। मेरी रजिस्ट्री भी उसी के पास है। परिवादी ने बताया कि आगे की कार्यवाही अब छुट्टियो के बाद ही हो सकती है। परिवादी के बताये अनुसार की रिश्वत राशि के आदान प्रदान की सम्भावना नही है। परिवादी से रिश्वत राशि मय लिफाफे के प्राप्त की जाकर परिवादी को कल सुबह 09 बजे एसीबी कार्यालय मे उपस्थित आने की हिदायत कर समय 05.15 पी.एम. पर रूख्सत मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के एसीबी कार्यालय अजमेर उपस्थित आया वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड व रिश्वत राशि मय लिफाफे के मन् निरीक्षक पुलिस ने अपनी अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। गवाहो को रूख्सत कर सुबह 09.00 बजे कार्यालय मे उपस्थित आने की हिदायत दी गई। दिनांक 10.04.2025 समय 10.00 ए.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के उपस्थित आने पर मन् निरीक्षक पुलिस की अलमारी मे सुरक्षित रखे हुये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मैमोरी कार्ड को वायॅस रिकॉर्ड सहित

निकाला गया। दिनांक 10.04.2025 समय 10.10 ए.एम पर परिवादी श्री भागचन्द एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे दिनांक 03.04.2025 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की ट्रासंक्रिप्ट व पैन ड्राईव तैयार किये गये। ट्रासंक्रिप्ट में परिवादी से सम्बनित भूखण्ड की रजिस्ट्री एंव रिश्वत राशि सम्बन्धित वार्तालाप दर्ज होना पाया गया। वार्ता में परिवादी द्वारा आरोपिता अदित्या को कहा गया कि "तो भी मैम थोडा बहुत देख लो ना" जिस पर आरोपिया कहती है कि " मैने दोनो के बताये एक के पचहतर" जिस पर परिवादी कहता है कि " थोडा सा मैम थोडा और तो" आरोपिता कहता है "नहीं समझ में आई" परिवादी कहता है " कम से कम मेरी तरफ तो देखो मैम आप" आरोपिता कहता है " क्या देखू मै तो मेरी तरफ देखूगीं तुम्हारी तरफ क्यू देखूगीं" जिस पर परिवादी कहता है कि "एक के आस पास करो" आरोपिता कहती है "चलो सवा दे दो" इस प्रकार उपरोक्त वार्ता में आरोपिता द्वारा परिवादी से रिश्वत के रूप में सवा लाख रूपये की मांग करना पाया जाता है। आवाज की पहचान परिवादी द्वारा की जाती है। मूल मैमोरी कार्ड से पैन ड्राई मुर्तिब किये गये एंव मूल मैमोरी कार्ड को सील्ड किया गया। समस्त सील्ड शुदा प्रादर्श श्री रविन्द्र सिंह को मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर मालखाना में सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किया। अनुसंधान अधिकारी का पैन ड्राईव मन् निरीक्षक पुलिस ने सुरक्षित रखा। परिवादी व स्वतन्त्र गवाहो को गोपनीयता की हिदायत दी जाकर रूख्सत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 16.04.2025 समय 01.11 पीएम पर मन निरीक्षक पुलिस ने अपने मोबाईल फोन से परिवादी के मोबाईल फोन पर कॉल किया तो परिवादी ने बताया रजिस्ट्रार मेडम अभी अपने ऑफिस मे ही है। परिवादी ने बताया कि कल दिनांक 15.04.25 को शाम को मै श्रीमती अदित्या के पास किसी अन्य काम से ऑफिस मे गया तो मेडम ने अपने आप से ही मेरी दोनो रजिस्ट्रीयो पर हस्ताक्षर करके मुझे दे दी। मेडम ने और कोई बात नहीं की थी, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैडम अगले कुछ दिनो मे ही मुझसे रुपये जरुर मागेंगी । परिवादी को हिदायत दी गई कि जब भी रजिस्ट्रार मेडम आपसे रुपयो की मागं करे तो तुरन्त मुझ निरीक्षक पुलिस को सूचित करे । दिनांक 16.05.2025 समय 03.15 पीएम पर परिवादी श्री भागचन्द तलविदा उपस्थित कार्यालय आया तथा बताया कि मैं मेरे कार्य के सिलसिले में रजिस्ट्रार मेडम श्रीमती अदित्या से दिनांक 14.05.2025 को उप पंजीयंक कार्यालय में मिला था। मैडम से बातों ही बातो में मैडम से पूर्व में मेरी रजिस्ट्रीयों के बदले सवा लाख रूपये लेने की बात पुछी तो मैडम ने कोई जबाब नहीं दिया। लगता है कि मैडम को ट्रेप कार्यवाही की शंका हो गई है। वो अब मुझसे रिश्वत राशि लेने की सम्भावना कम है। समय 4.16 पीएम पर परिवादी श्री भागचन्द द्वारा एक बार उप पंजियक श्रीमती अदित्या से बात कर स्थिति स्पष्ट करने हेतु अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से श्रीमती अदित्या के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल किया तो परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता को कार्यालय के वॉईस रिकॉर्डर में लगे मैमेरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया जिसमें रिंग जाने की आवाज है तथा सामने से कॉल रिसिव कर किसी व्यक्ति (पुरूष) द्वारा हैलो कहा गया जिस पर परिवादी द्वारा भी हैलो कहकर कॉल डिस कनेक्ट कर दी गई। परिवादी द्वारा बताया गया कि उप पंजीयक श्रीमती अदित्या को ट्रेप कार्यवाही की शंका हो गई है तथा वो मुझसे मोबाईल पर भी बात नहीं कर रही है। अब मैडम मुझसे रिश्वत राशि नहीं लेगी तथा इस सम्बन्ध में एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उप पंजीयक ब्यावर श्रीमती अदित्या को ट्रेप कार्यवाही की शंका हो गई है। वो अब मुझसे रिश्वत राशि नहीं लेगी और अब आगे ट्रेप कार्यवाही की जाना सम्भवं नहीं है। तलबी पर स्वतंत्र गवाहान कैलाश चन्द मधुकर व राजेन्द्र प्रसाद उपस्थित जिनकी उपस्थिति परिवादी श्री भागचन्द व उप पंजीयंक श्रीमती अदित्या के मध्य दिनांक 07.05.25 व दिनांक 09.05.25 को हुई रूबरू वार्ता जो कार्यालय के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड थी की ट्रासंक्रिप्ट मुर्तिब की गई। वार्ता में परिवादी व आरोपिता के मध्य परिवादी के रजिस्ट्री से सम्बन्धित दर्ज होकर रिश्वत सम्बन्धित वार्तालाप भी है। वार्ता में आरोपिता परिवादी से कहती है "ठीक है , अभी कर दूगी, अभी कर दूगीं ले जाना ......तुम कब करोगे पैमेन्ट" जिस पर परिवादी कहता है" पैमेन्ट, आज कर दूं, अभी कर दूंगा, पुरा मैडम एक पच्चीस ही करना है। पुरे ही , थोडा सा" आरोपिया कहती है "और भी थोडा" जिस पर परिवादी कहता है कि "एक लाख पच्चीस हजार थोडा ज्यादा रहेगा मैम" जिस पर आरोपिया कहती है " भई ये चीजे करनी थी तो पहले ही कहते ना" जिस पर परिवादी कहता है " नहीं नहीं थोडा, आप अगर" आरोपिता कहती है "फालतु बाते नहीं करो, अब फालतू बाते नहीं करो, मार्केट नहीं है ये"परिवादी कहता है "जी मैम" आरोपिया कहता है " तो फिर, कोई चीज की मतलब एक इन्सान काम भी करता है तो अपनी जबान पर करता है वो बात तय हो गई थी" परिवादी कहता है " जी मैम" आरोपिया कहती है " तो दुबारा करने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। क्या ही कर रहे हो यह सब" परिवादी कहता है "नही मैम" जिस पर आरोपिता कहती है " अरे तुम पहले पर्सन हो जो ऐसी बाते कर रहे हो, आईन्दा मुझे काम की भी कहना मत बस , मुझे शौक नहीं है बात नहीं करने का, हद होती है किसी चीज की, ठीक है जाओ।" उपरोक्त वार्ता में परिवादी द्वारा रिश्वत की राशि कम करने की कहने पर आरोपिता द्वारा नाराजगी जाहिर की जाती है। आवाज की पहचान परिवादी श्री भागचन्द द्वारा की गई। मूल मैमोरी कार्ड से पैन ड्राईव मुर्तिब किये गये। मूल मैमोरी कार्ड को सील्ड किया जाकर जब्त किया गया। समस्त सील्ड शुदा प्रादर्श मालखाना में जमा करवाये गये। बाद कार्यवाही परिवादी व गवाहो को रूख्सत किया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 03.04.2025 एंव रिश्वत राशि लेनदेन से पूर्व दिनांक 09.04.2025 को परिवादी व आरोपिता के मध्य हुई वार्ता में आरोपिता द्वारा परिवादी से 1,25,000 रूपये रिश्वत की मांग करना फर्द ट्रासंक्रिप्ट से पाया गया है। आरोपिता की आवाज की पहचान परिवादी द्वारा रूबरू गवाहान की गई है। उपरोक्त तथ्यो एंव सम्पूर्ण ट्रेप

कार्यवाही से आरोपिता श्रीमती अदित्या पुत्री श्री खूबचन्द उम्र 41 साल निवासी 460- गौतम नगर, नींदड़ मोड़, हरमाड़ा, जयपुर हाल उप पंजीयक ब्यावर जिला ब्यावर द्वारा एक लोक सेवक हेतु हुये परिवादी श्री भागचन्द कुम्हार पुत्र गोविन्द प्रसाद जाति कुम्हार उम्र 33 साल निवासी श्याम सुन्दर गली तेजा चौक ब्यावर के ब्यावर स्थित आदिनाथ कॉलोनी सेदरिया में खसरा नम्बर 15 मे दो भूखण्ड प्लॉट नम्बर 21 क्षैत्रफल 233.33 वर्गगज व प्लॉट नम्बर 22 क्षैत्रफल 233.33 वर्गगज के क्रयशुदा भूखण्डो पंजीयन करने की एवज में रिश्वत राशि 1,25,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर असम्यक लाभ अभिप्राप्त करने का प्रयास किया गया है, जो आरोपिया का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना पाया जाता है। अतः आरोपिता श्रीमती अदित्या पुत्री श्री खूबचन्द उम्र 41 साल निवासी 460- गौतम नगर, नींदड़ मोड़, हरमाड़ा, जयपुर हाल उप पंजीयक ब्यावर जिला ब्यावर द्वारा अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित किया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक भ्र0नि0ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (दीनदयाल) निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।.....................कार्यवाही पुलिस................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री दीनदयाल निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिता श्रीमती अदित्या पुत्री श्री खूबचन्द उम्र 41 साल निवासी 460- गौतम नगर, नींदड़ मोड़, हरमाड़ा, जयपुर हाल उप पंजीयक ब्यावर जिला ब्यावर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री भागचन्द्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अजमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 44 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 973-76 दिनांक 03.07.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर, 2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर 3.-उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):
(जाँच अधिकारी का नाम): BHAGCHNDRA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 03/07/2025 16:2[illegible]

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताऐं, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1984				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताऐं)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)